न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

कमांक 179/स्टेनो/2026 रीवा, दिनांक 26.11.2026

आदेश
दिनांकः—26.11.2026

माह **दिसंबर** के सार्वजनिक अवकाशों में दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में अत्यावश्यक कार्य हेतु एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने—अपने न्यायालय में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर—2026
1.	**श्री शैलेन्द्र रैकवार,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**27-12-2026**
2.	**मुकेश कुमार कोरी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**25-12-2026**
3.	**श्री बृजेश कुमार चंसोरिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**20-12-2026**
4.	**श्री दिलीप माहोर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**19-12-2026**
5.	**श्रीमती सृष्टि चौरसिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**13-12-2026**
6.	**सुश्री कंचन सैनिक,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**06-12-2026**
7.	**श्री रंजीत भदकारिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026**

तहसील न्यायालय सिरमौर

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर—2026
1.	**श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर,	**19-12-2026**

	जिला रीवा (म0प्र0)	
2.	**श्रीमती भारती केशरी कश्यप,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)	**13-12-2026** **27-12-2026**
4.	**श्रीमती गीता उईके,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)	**06-12-2026** **25-12-2026**
5.	**श्री रजनीश ताम्रकार,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीसिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026** **20-12-2026**

तहसील न्यायालय मऊगंज

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर–2026
01	**श्रीमती आकांक्षा तेकाम,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)	**19-12-2026**
02	**श्री महादेव पटेल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)	**13-12-2026** **27-12-2026**
03	**सुश्री ओशी जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)	**06-12-2026** **25-12-2026**
04	**सुश्री निशिता श्रीवास्तव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026** **20-12-2026**

तहसील न्यायालय हनुमना

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर–2026
1.	**श्री संदीप कुमार नामदेव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)	**19-12-2026** **20-12-2026** **25-12-2026**
2.	**श्री शत्रुघन आठिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026** **06-12-2026** **13-12-2026** **27-12-2026**

तहसील न्यायालय त्योंथर

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर–2026
1.	**श्रीमती कामिनी प्रजापति,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)	**25-12-2026** **27-12-2026**
2.	**श्री आशुतोष प्रताप सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)	**19-12-2026** **20-12-2026**
3.	**श्री गौतम सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026** **06-12-2026** **13-12-2026**

तहसील न्यायालय मनगवां

क.	अधिकारी का नाम	माह दिसंबर–2026
1.	**श्री यश अबिद्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0)	**05-12-2026** **06-12-2026** **13-12-2026** **19-12-2026** **20-12-2026** **25-12-2026** **27-12-2026**

नोटः–

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अथवा म0प्र0 शासन द्वारा **दिसंबर** में आकस्मिक/सामान्य अवकाश घोषित होने पर **मुख्यालय रीवा, तहसील मऊगंज, तहसील सिरमौर, तहसील हनुमना, तहसील त्योंथर एवं तहसील मनगवां में जो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उपस्थित रहेंगे उनमें से कनिष्ठ अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्युटी की जायेगी।

(2) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा प्रशिक्षण या स्थानान्तरण की दशा में उनके न्यायालय का कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके द्वारा प्रशिक्षण पर जाने की सूचना दी जायेगी तथा उनके न्यायालय का कार्य देखने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी रिमाण्ड ड्युटी करेंगे।

(3) कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व लिखित अनुमति के बिना अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ रिमाण्ड समायोजित करने की प्रत्याशा के साथ अवकाश का आवेदन नहीं भेजेंगे एवं अपने अवकाश के आवेदन में यह टीप अंकित करेंगे की उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है।

(4) किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट

किशोर न्यायबोर्ड द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। बोर्ड के किसी भी सदस्य के मुख्यालय पर उपस्थित न होने/अवकाश पर होने की दशा में आवश्यक प्रकृति के कार्य रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनगवां के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में जिला स्थापना रीवा में रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

(6) उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा काम्बिंग गश्त की जाती है तो निम्ननुसार अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे–1–दिसंबर में **श्री मुकेश कुमार कोरी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रीवा म0प्र0।

SD/-
(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपिः–

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा।
2. जिला नाजिर, जिला न्यायालय रीवा को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
3. कोर्ट मैनेजर रीवा को, जिला रीवा (म.प्र.) के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां जिला रीवा को एसएमएस द्वारा सूचना भेजने हेतु प्रेषित।
4. श्री उदयभान पटेल, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट रीवा को, जिला रीवा (म.प्र.) के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां जिला रीवा को ई–मेल द्वारा भेजने हेतु प्रेषित।
5. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रीवा।
6. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/26
(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा म0प्र0